

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी भादरा मुकाम भादरा

संजय

वनाम

सोनू आदि

नियम मुकदमा :- 212 आरटीएक्ट

मुकदमा नम्बर :- 60./25

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फाई अहकाम की हुकम की लागूत जारी हुआ
05.06.2025	<p>आज यह रथगन प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पर सिगेदार की रिपोर्ट होने के बाद प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। रथगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा शपथ पत्र प्रार्थी से सन्तुष्ट होकर आगामी पेशी तक उभयपक्ष के विरुद्ध इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे विवादित रकबा रोही मौजा चक 16 एएमएस के खाता सं० 178/117 के मु० न० 85 के किला न० 24, 25, मु० न० 93 के किला न० 16/1, 16/2, 25/1, 25/2, मु० न० 94 के किला न० 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 12, 13/1, 19 कुल 2. 5430 है० मय खाला वादभूमि को उभयपक्ष रहन, बैय व मुन्तकिल ना करें। व उभयपक्ष रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनायें रखे। वकील प्रार्थी तामिल हेतु 3 दिवस में रजिस्टर्ड डाक की रसीद पेश करे एव आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करे। अप्रार्थी की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस एवं साधारण नोटिस से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 08.07.2025 को पेश हो</p>	
8 ⁷ / ₃	<p>पत्रावली पेश हुई प्रैडाब्लिन अतिरिक्त पण्डित दीन दयाल केसू दिनांक 29/9/25</p>	
29/8/25	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी के प्रार्थना - पत्र पर पत्रावली को पेशी में लिखा गया। चूंकि प्रार्थना - पत्र 212/KTA से संबंधित मूल वाद का निरस्तन हो चुका है। इस अति: प्रार्थना - पत्र 212/KTA के संबंध में प्रार्थी के पत्रावली में दिनांक 05.06.25</p>	<p>अन्वेषी पत्रावली पाएते हैं। सिप्प पत्रावली</p>

को जारी अर्थात् विशेषज्ञों को निरस्त
नहीं हुए पञ्जाबी को वर्तमान स्तर पर
स्वीकार किया जाता है।

पञ्जाबी नम्बर से कम की जाकर बाई
तकमाल सरफिल इंप्लर है।

(10/10/27 SHIVRAM)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)